

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या-78/2023

उपस्थित

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट
श्री एन0 के0 जोशी
श्री विपिन बनियाल

(न्यायिक सदस्य)
(तकनीकी सदस्य)
(उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी- श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 श्री घनश्याम प्रसाद, ग्राम पनियाला पट्टी रौणद
रमोली टिहरी।

बनाम

विपक्षी- अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, टिहरी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक-08/09/2023

निर्णय का दिनांक- 18/09/2023

:: निर्णय ::

परिवादी श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 श्री घनश्याम प्रसाद, ग्राम पनियाला पट्टी रौणद, रमोली टिहरी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08/09/2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ। जो कि विद्युत संयोजन संख्या TH21130104194 श्रेणी घरेलू भार 01 कि0वा0 से संबंधित है। प्रार्थना पत्र में परिवादी का कहना है कि उनके संयोजन पर विद्युत का उपभोग कम से कम किया जाता है। पूर्व में दो माह का न्यूनतम बिल रु0 60.00 (साठ) व अधिकतम बिल रु0 90.00 (नब्बे) का आता था। दिनांक 20.0.2023 को रु0 14291.00 (चौदह हजार दो सौ इकानवे) का बिल दिया गया था जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी लम्बगांव द्वारा उपरोक्त बिल को सही कर रु0 2200.00 (दो हजार दो सौ) जमा करने हेतु कहा गया, जो कि दिनांक 03.03.2023 को जमा कर दिया गया था। परन्तु इसके बावजूद वर्तमान में पुनः रु0 2292.00 (दो हजार दो सौ बयानवे) का बिल दिया गया है, जो कि सही नहीं है। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उपरोक्त बिल को संशोधित किया जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा विपक्षी विभाग को पत्रांक 151/2023/वि0उ0शि0नि0म0उका फोरम/दिनांक- 08/09/2023 के मार्फत नोटिस दिया

विपिन बनियाल
18/09/23
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarkashi
18/09/23
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

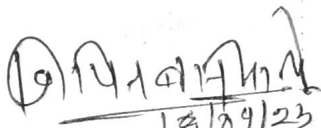
Page-2 of 1
18/09/23
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

गया और दिनांक-18/09/2023 तक आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक-4834/वि0वि0ख0टि0/दिनांक-15/09/2023 के मार्फत आख्या मंच के सम्मुख पेश की गई। इसमें विपक्षी विभाग ने अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत संयोजन पर निर्गत बिल रु0 2200.00 (दो हजार दो सौ) को संशोधित कर रु0 488.00 (चार सौ अट्ठासी) कर दिया गया है। उपभोक्ता को कुल चार माह का विद्युत बिल रु0 488.00 (चार सौ अट्ठासी) जमा करना है।

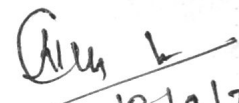
इस परिवाद की सुनवाई दिनांक-18/09/2023 को की गई। परिवादी ने अपना पक्ष स्वयं रखा, जबकि विपक्षी/विभाग की ओर से अधिशासी अभियन्ता, अमित आनंद ने तर्क पेश किए। उभय पक्षों ने फोन पर अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत किए। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि विपक्षी/विभाग ने परिवादी का बिल संशोधित कर दिया गया है। परिवादी को विद्युत बिल के सापेक्ष रु0 488.00 (चार सौ अट्ठासी) जमा करने होंगे।

:: आदेश ::

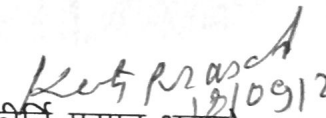
परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद का उपरोक्तानुसार निस्तारण किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।


(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(एनरुके0 जोशी)
तकनीकी सदस्य
तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी


(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी